

पंजीकृत डाक द्वारा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

वास्तुकला एवं नियोजन विभाग

मुख्य प्रशासनिक भवन, सेक्टर-6 नौएडा(उ0प्र0)

संख्या:-नौएडा/मु0वा0नि0/2022/III-262/ 1216

दिनांक: 14-11-22

सेवा में,

मैसर्स जे0पी0 इन्फ्राटेक लि0

सैक्टर-128, नौएडा

बिषय:- मै0 जे0पी0 इन्फ्राटेक लि0 द्वारा सैक्टर-128, 129, 131, 133 व 134 में विकसित की जा रही टॉऊनशिप योजना के अन्तर्गत नियोजित ग्रुप हाऊसिंग पॉकेट सं0 बी-12 से बी-18, सैक्टर -131 व 133, नौएडा के मानचित्र के पुनर्वैधीकरण के सम्बन्ध में ।

कृपया आपके द्वारा सैक्टर-128, 129, 131, 133 व 134 में विकसित की जा रही टॉऊनशिप योजना के अन्तर्गत नियोजित ग्रुप हाऊसिंग पॉकेट सं0 बी-12 से बी-18, सैक्टर - 131 व 133, नौएडा के प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्रों के पुनर्वैधीकरण हेतु आवेदन दिनांक 03.02.2022 को किया गया है एवं पुनर्वैधीकरण शुल्क दिनांक 02.02.2022 को चालान द्वारा जमा करायें जाने के आधार पर पूर्व स्वीकृत मानचित्रों को पुनर्वैधीकरण किया जाता है । पुनर्वैधीकरण मानचित्रों की अधिकतम वैधता-5 वर्ष के लिए अनुमन्य होगी ।

आप पट्टा प्रलेख में भवन निर्माण हेतु निर्धारित समय सीमा का पालन करना सुनिश्चित करेंगे । पुनर्वैधीकरण मानचित्र में दर्शित वैधता समय किसी भी स्थिति में पट्टा प्रलेख की शर्तों को प्रभावित नहीं करता है।

ग्रुप हाऊसिंग पॉकेट बी-12 से बी-18 सैक्टर -128 का कुल क्षेत्रफल	= 7,79,489.40 वर्ग मीटर
कुल स्वीकृत एफ.ए.आर.	= 5,00,017.74 वर्ग मीटर
कुल नॉन एफ.ए.आर. तहखाना क्षेत्रफल	= 2,30,473.56 वर्ग मीटर
कुल नॉन एफ.ए.आर. सेवा क्षेत्रफल	= 48,998.10 वर्ग मीटर
कुल स्वीकृत क्षेत्रफल(एफ0ए0आर0+नॉन एफ0ए0आर0)	= 7,79,489.40 वर्ग मीटर

योजना में कुल अधिभोग निर्गत क्षेत्रफल

निर्मित एफ0ए0आर0 क्षेत्रफल	= 44,613.32 वर्ग मी0
निर्मित प्रथम तहखाना क्षेत्रफल (नॉन एफ0ए0आर0)	= 8,780.7 वर्ग मी0
निर्मित द्वितीय तहखाना क्षेत्रफल (नॉन एफ0ए0आर0)	= 8,780.7 वर्ग मी0
निर्मित सेवा क्षेत्रफल (नॉन एफ0ए0आर0)	= 5,086.1 वर्ग मी0
कुल अधिभोग निर्गत क्षेत्रफल(एफ0ए0आर0 + नॉन एफ0ए0आर0)	= 67,260.82 वर्ग मी0

पुनर्वैधीकरण हेतु क्षेत्रफल

शेष एफ0ए0आर0 क्षेत्रफल	= 4,55,404.42 वर्ग मी0
शेष प्रथम तहखाना क्षेत्रफल (नॉन एफ0ए0आर0)	= 1,06,981.79 वर्ग मी0
शेष द्वितीय तहखाना क्षेत्रफल (नॉन एफ0ए0आर0)	= 1,05,930.37 वर्ग मी0
शेष सेवा क्षेत्रफल (नॉन एफ0ए0आर0)	= 43,912.00 वर्ग मी0
कुल पुनर्वैधीकृत क्षेत्रफल(एफ0ए0आर0 + नॉन एफ0ए0आर0)	= 7,12,228.58 वर्ग मी0

REVALIDATION

नियम व शर्तें:-

1. संदर्भित ग्रुप हाऊसिंग पॉकेट की पुनरीक्षित भवन मानचित्र की स्वीकृति पत्र दिनांक 26.03.2012 में उल्लिखित शर्तें यथावत रहेगी।
2. योजना में 64.70 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर की देयता के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-25579/2021 में जो भी अंतिम निर्णय पारित होगा, वह कार्यदायी संस्था को मान्य होगा।
3. कार्यालय आदेश दिनांक 15.09.2022 के अनुसार कार्यदायी संस्था के स्वयं के द्वारा विकसित की जा रही योजनाओं में अनुमन्य समयवृद्धि दिनांक 31.12.2025 तक निःशुल्क प्रदान की गयी है। उक्त तिथि के उपरान्त प्राधिकरण की प्रचलित नीति के अनुसार नियमानुसार समयवृद्धि शुल्क देय होगा।
4. कार्यदायी संस्था को परिसर के अन्दर ही कूड़ा एवं ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु कूड़ा एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्लान्ट स्थापित करना होगा।
5. उ0प्र0 रियल स्टेट रेग्युलेट्री एक्ट-2016, पर्यावरण विभाग / माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण/माननीय न्यायालय/उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य सम्बन्धित राज्य व केन्द्र सरकार के समय-समय पर लागू होने वाले सभी अधिनियमों एवं उसके अन्तर्गत नियमों / विनियमों/निर्देशों/आदेशों आदि (अध्यावधिक यथा संशोधित एवं प्रभावी) का अनुपालन कार्यदायी संस्था/पट्टा धारक/उप पट्टा धारक पर बाध्यकारी होगा।
6. इलेक्ट्रीक वाहन चार्जिंग की व्यवस्था कार्यदायी संस्था को परिसर के अंदर करना होगा।

संलग्न:- पुनर्वैधीकरण मानचित्र की प्रति।

प्रतिलिपि: तहसीलदार, (भूलेख) को सूचनार्थ।

भवदीय,

REVALIDATION
Map for proposed Building is as per Bye
Laws. Submitted for Approval Please

Asstt. Asstt/Arch. Architect

नाम

पद

नाँएडा

(इश्तियाक अहमद)
महाप्रबन्धक (निगोजद)
नाँएडा

पंजीकृत डाक द्वारा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

वास्तुकला एवं नियोजन विभाग

मुख्य प्रशासनिक भवन, सेक्टर-6 नौएडा(उ०प्र०)

संख्या:-नौएडा/मु०वा०नि०/2020/III-262/ 06

दिनांक: 24-01-2020

सेवा में,

मैसर्स जे०पी० इन्फ्राटेक लि०

सैक्टर-128, नौएडा

बिषय:- मै० जे०पी० इन्फ्राटेक लि० द्वारा सैक्टर-128,129,131,133 व 134 में विकसित की जा रही टॉऊनशिप योजना के अन्तर्गत नियोजित ग्रुप हाऊसिंग पॉकेट सं० बी-12 से बी-18, सैक्टर -131 व 133, नौएडा के मानचित्र के पुनर्वैधीकरण के सम्बन्ध में ।

कृपया आपके द्वारा सैक्टर-128,129,131,133 व 134 में विकसित की जा रही टॉऊनशिप योजना के अन्तर्गत नियोजित ग्रुप हाऊसिंग पॉकेट सं० बी-12 से बी-18, सैक्टर - 131 व 133, नौएडा के प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्रों के पुनर्वैधीकरण हेतु आवेदन दिनांक 22.03.2017 को किया गया है एवं पुनर्वैधीकरण शुल्क दिनांक 09.09.2016 को चालान द्वारा जमा कराये जाने के आधार पर पूर्व स्वीकृत मानचित्रों को पुनर्वैधीकृत किया जाता है । पुनर्वैधीकृत मानचित्रों की अधिकतम वैधता-5 वर्ष (आवेदन दिनांक 22.03.2017 से 21.03.2022) के लिए अनुमन्य होगी ।

आप पट्टा प्रलेख में भवन निर्माण हेतु निर्धारित समय सीमा का पालन करना सुनिश्चित करेंगे । पुनर्वैधीकृत मानचित्र में दर्शित वैधता समय किसी भी स्थिति में पट्टा प्रलेख की शर्तों को प्रभावित नहीं करता है।

ग्रुप हाऊसिंग पॉकेट बी-12 से बी-18 सैक्टर -128 का कुल क्षेत्रफल	= 7,79,489.40 वर्ग मीटर
कुल स्वीकृत एफ.ए.आर.	= 5,00,017.74 वर्ग मीटर
कुल नॉन एफ.ए.आर. तहखाना क्षेत्रफल	= 2,30,473.56 वर्ग मीटर
कुल नॉन एफ.ए.आर. सेवा क्षेत्रफल	= 48,998.10 वर्ग मीटर
कुल स्वीकृत क्षेत्रफल(एफ०ए०आर०+नॉन एफ०ए०आर०)	= 7,79,489.40 वर्ग मीटर

योजना में कुल अधिभोग निर्गत क्षेत्रफल

निर्मित एफ०ए०आर० क्षेत्रफल	= 44,613.32 वर्ग मी०
निर्मित प्रथम तहखाना क्षेत्रफल (नॉन एफ०ए०आर०)	= 8,780.7 वर्ग मी०
निर्मित द्वितीय तहखाना क्षेत्रफल (नॉन एफ०ए०आर०)	= 8,780.7 वर्ग मी०
निर्मित सेवा क्षेत्रफल (नॉन एफ०ए०आर०)	= 5,086.1 वर्ग मी०
कुल अधिभोग निर्गत क्षेत्रफल(एफ०ए०आर० + नॉन एफ०ए०आर०)	= 67,260.82 वर्ग मी०

पुनर्वैधीकरण हेतु क्षेत्रफल

शेष एफ०ए०आर० क्षेत्रफल	= 4,55,404.42 वर्ग मी०
शेष प्रथम तहखाना क्षेत्रफल (नॉन एफ०ए०आर०)	= 1,06,981.79 वर्ग मी०
शेष द्वितीय तहखाना क्षेत्रफल (नॉन एफ०ए०आर०)	= 1,05,930.37 वर्ग मी०
शेष सेवा क्षेत्रफल (नॉन एफ०ए०आर०)	= 43,912.00 वर्ग मी०
कुल पुनर्वैधीकृत क्षेत्रफल(एफ०ए०आर० + नॉन एफ०ए०आर०)	= 7,12,228.58 वर्ग मी०

नियम व शर्तें:-

1. संदर्भित ग्रुप हाऊसिंग पॉकेट की पुनरीक्षित भवन मानचित्र की स्वीकृति पत्र दिनांक 22.03.2017 में उल्लिखित शर्तें यथावत रहेगी।
2. योजना में 64.70% की अतिरिक्त प्रतिकर की देयता अधिभोग प्रमाण पत्र के आवेदन के समय नियमानुसार जमा कराना होगा।
3. सन्दर्भित योजना में कार्यदायी संस्था को समय वृद्धि के सम्बन्ध में नौएडा प्राधिकरण एवं यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का निर्णय मान्य होगा तथा इससे बायर्स बिल्डर एग्रीमेंट प्रभावित नहीं होगा।
4. कार्यदायी संस्था को परिसर के अन्दर ही कूड़ा एवं ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु कूड़ा एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्लान्ट स्थापित करना होगा।
5. उ0प्र0 रियल स्टेट रेग्युलेट्री एक्ट-2016, पर्यावरण विभाग / माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण/माननीय न्यायालय/उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य सम्बन्धित राज्य व केन्द्र सरकार के समय-समय पर लागू होने वाले सभी अधिनियमों एवं उसके अन्तर्गत नियमों / विनियमों/निर्देशों/आदेशों आदि (अध्यावधिक यथा संशोधित एवं प्रभावी) का अनुपालन कार्यदायी संस्था/पट्टा धारक/उप पट्टा धारक पर बाध्यकारी होगा।

संलग्न:- पुर्नवेद्यीकरण मानचित्र की प्रति ।
प्रतिलिपि: तहसीलदार, (भूलेख) को सूचनार्थ ।

भवदीय,

नाम
पद
(एस० सी गौड़)
महापंचायक-नियोजन
नौएडा

Map for proposed Building is per Bye
Laws. Submitted for approval please.

Asstt. Arch. Architect

पंजीकृत डाक द्वारा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

वास्तुकला एवं नियोजन विभाग
मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नोएडा(उ०प्र०)

संख्या नोएडा/मु०वा०नि०/ III - 262/.....524

दिनांक: 26-03-2012

सेवा में,

मैसर्स जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड

सैक्टर : 128

नोएडा

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 12.05.2010 का संदर्भ में आपके द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे (पुराना नाम ताज एक्सप्रेसवे) के अन्तर्गत निष्पादित कन्सेशन एग्रीमेंट के प्राविधानों के तहत **पाकेट सं० बी - 12,13, 14, 15, 16, 17 व 18 (Kensington Boulevard & Kensington Park) सैक्टर - 131 व 133, नोएडा** में हस्तान्तरित भूमि पर टाऊनशिप विकसित करने के लिए निर्धारित आवासीय उपयोग हेतु भूमि पर प्रस्तावित गुप हाऊसिंग के भवन निर्माण की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-

1. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष (निर्माण अवधि होने की दशा में) तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगरपालिका, नोएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित(एफेक्टेड) नहीं माना जायेगा।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मॉगा जायेगा तो वह किसी बिना आपत्ति के देय होगा।
5. दरवाजे व खिडकियाँ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सडक की ओर बढाव(प्रोजेक्टेड) न हों।
6. विजली की लाईन से पाँच फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य न किया जायेगा।
7. कार्यदायी संस्था द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सडक पर यातायात अवरूद्ध नहीं होना चाहिए।
8. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के स्पेसीफिकेशन नोएडा भवन नियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा। कार्यदायी संस्था तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहखाने का भवन प्रकोष्ठ विभाग नोएडा द्वारा निरीक्षण कराने के बाद ही भूतल का निर्माण कार्य शुरू करेगा। अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
9. कार्यदायी संस्था मेजेनाइन्स तल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
10. सडक पर अथवा बैंक लेन में कोई रेम्प अथवा स्टैप्स नहीं बनाये जायेगे। वह कार्य अपनी ही भूमि पर करें।
11. कार्यदायी संस्था द्वारा जल एवं मल की निकासी की व्यवस्था नोएडा प्राधिकरण के प्ररियोजना अभियन्ता के साथ समन्वय करने एवं निरीक्षण के उपरान्त ही संस्था उसे ढकेगी।
12. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा बशर्ते संस्था को पट्टे के अधिकार उपलब्ध हों अथवा उसको पुर्नजीवित करा लिया हो। पट्टे के अधिकार उपलब्ध/पुनर्जीवित न होने की दशा में मानचित्र की वैधता, पट्टे की वैधता तिथि तक समझा जायेगा।
13. कार्यदायी संस्था को अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय सम्बन्धित विभाग से नियमानुसार समयवृद्धि पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
14. कार्यदायी संस्था निर्माण कार्य शुरू करने के बाद तहखाने की छत डालने से पूर्व कुर्सी तल पर एवं भूतल की छत डालने से पूर्व भवन प्रकोष्ठ नोएडा द्वारा भवन का निरीक्षण अवश्य करायेगा।
15. कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत योजना की सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र दिनांक 23.03.11 में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन करना होगा।
16. उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (Promotion of Construction, ownership & Maintenance) एक्ट, 2010; तथा इसके अधीन जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

स्वीकृत मानचित्र इस पत्र के साथ सलंगन है भवन कार्य मानचित्र की वैधता तिथि के अन्दर पूरा होने के उपरान्त अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र देना होगा तथा बिना आज्ञा व अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किये भवन को प्रयोग में नहीं ले सकते है ।

कन्सेशन एग्रीमेन्ट के तहत टाउनशिप विकसित करने हेतु सैक्टर-128, 129, 131, 133 एवं 134 में हस्तान्तरित भूमि का विवरण निम्नवत है:-


SI. No.	LAND USE DESTRIUTION	AREA (ACRES)	%age
1.	RESIDENTIAL	603.27	58.60
2.	COMMERCIAL	21.53	2.09
3.	INSTITUTIONAL & COMMUNITY FACILITIES	105.56	10.25
•	COMMUNITY FACILITIES	20.81	2.02
•	HEALTH	26.34	2.56
•	INSTITUTIONAL	58.41	5.67
4.	RECREATIONAL	154.43	15.00
5.	ROADS AND TRANSPORATION	144.75	14.06
TOTAL LAND UNDER MASTER PLAN RESIDENTIAL ZONE		1029.55	100.00
TOTAL LAND UNDER MASTER PLAN COMMERCIAL IN SECTOR-129		43.29	
TOTAL LAND AREA		1072.84	

कन्सेशन एग्रीमेन्ट के तहत टाउनशिप विकसित करने हेतु सैक्टर-151 में हस्तान्तरित भूमि का विवरण निम्नवत है:-

SI. No.	LAND USE DESTRIUTION	AREA (ACRES)	%age
1.	Roads and Transportation	7.809	12.00
2.	Recreational Green	9.762	15.00
3.	Commercial	2.603	4.00
4.	Institutional/Facilities	8.421	12.94
5.	Residential	36.485	56.06
Total		65.08 Acres or 26.35 Hectares	100%

कार्यदायी संस्था को सम्पूर्ण योजना में कुल हस्तान्तरित भूमि $1072.84 + 65.08 = 1137.92$ एकड.
(46,05,100.00 वर्ग मी0)

- कन्सेसनर एग्रीमेन्ट के तहत कुल हस्तान्तरित भूमि (1137.92 एकड = 46,05,100वर्ग मी0)
पर अधिकतम अनुमन्य एफ.ए.आर. @ 1.5 = 69,07,650.00 वर्ग मी0
- योजना (सैक्टर-128, 129, 131, 133 एवं 134)
आवासीय उपयोग हेतु कुल निर्धारित भूमि का क्षेत्रफल = 24,41,347.073 वर्गमी0 (603.27एकड.)
- अनुमन्य भू-आच्छादित क्षेत्रफल @ 40%
(वर्तमान में प्रचलित भवन विनियमावली के अनुसार) = 9,76,538.820 वर्ग मी0
- अनुमन्य एफ.ए.आर. (आवासीय उपयोग हेतु निर्धारित भूमि 603.27 एकड.) के सापेक्ष में अधिकतम अनुमन्य एफ.ए.आर.@ 2.0 (प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 11.08.08 में लिए गये के अनुरूप) = 48,82,694.146 वर्ग मी0



- पाकेट सं० बी - 12,13, 14, 15, 16, 17 व 18 के लिए प्रस्तावित ऊँचाई = 95.20 मीटर

कार्यदायी संस्था द्वारा पाकेट सं० बी - 12,13, 14, 15, 16, 17 व 18 के लिए विभिन्न तलों पर किये गये प्रस्तावित क्षेत्रफल का तलवार विवरण निम्नानुसार है:-

तल	प्रस्तावित क्षेत्रफल पाकेट सं० बी - 12,13, 14, 15, 16, 17 व 18 (वर्ग मी०)
भूतल	29047.49
प्रथम तल	26963.40
द्वितीय तल	23857.89
तृतीय तल	23193.26
चतुर्थ तल	23204.71
पंचम तल	23193.26
छटवां तल	23204.71
सातवां तल	23193.26
आठवां तल	23204.71
नौवा तल	23193.26
दसवां तल	23204.71
ग्यारहवां तल	23193.26
बारवां तल	23204.71
तेरहवां तल	23193.26
चौदहवांतल	23204.71
पन्द्रहवां तल	23193.26
सोलवां तल	23204.71
सत्रहवां तल	23193.26
अट्ठारवां तल	23462.53
उन्नीसवां तल	12414.34
बीसवां तल	5175.86
इक्कीसवां तल	5089.40
बाइसवां तल	4438.18
तेइसवां तल	4351.72
चौबीसवां तल	3700.50
पच्चीसवां तल	3614.04
छब्बीसवां तल	2962.82
सत्ताइसवां तल	2876.36
अट्ठाइसवां तल	2084.96
उन्नतीसवां तल	1999.20
कुल एफ.ए.आर.	500017.74

तहखाना	
तहखाना : प्रथम	115762.49
तहखाना : द्वितीय	114711.07
कुल क्षेत्रफल	230473.56
सेवा क्षेत्रफल	48998.10
कुल क्षेत्रफल (तहखाना एवं सेवा सहित)	779489.40

एफ0ए0आर0 विवरण-

Sl. No.	Description	Land Use	Date of Approval	Approved FAR (Sqm.) by NOIDA fill date	Comm. Approved FAR area (Sqm.)	Revised FAR	Balance FAR (Sqm.)
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	Primary School	I-3/1	Institutional	24.11.08	10026.23	10026.230	68,97,623.77
2.	Secondary School	I-2/1	Institutional	24.11.08	14006.13	24032.360	68,83,617.64
3.	Group Housing (Kalypso & Imperial Tower)	B1, B2 & B3	Residential	24.03.09	323628.295	347660.655	65,59,989.345
4.	Group Housing (PH-1, PH-2, PH-3, PH-4, PT-1, PT-2, TH-1 & TH-2)	B4	Residential	29.10.09	253144.64	600805.295	63,06,844.705
5.	Group Housing (Revise Kalypso & Imperial Tower)	B1, B2 & B3	Residential	11.10.11	(323628.295)	620789.370	343612.373 (19984.075)
6.	Group Housing (Aman)	Sector - 151	Residential	20.10.11	324587.222	945376.592	59,62,273.405
7.	Group Housing (Kosmos)	B-35, 36, 37, 38, 41 B & 43	Residential	01.11.11	7,53,831.85	16,99,208.44	52,08,441.555
8.	Primary School (Revise)	I-3/1	Institutional	18.11.11	(10026.23)	1702188.71	13006.50 (2980.27)
9.	Secondary School (Revise)	I-2/1	Institutional	18.11.11	(14006.13)	1707310.55	19127.97 (5121.84)
10.	Group Hosing (Klassic)	B-39 and B-40	Residential	25.11.11	110584.39	1817894.94	5089755.055
11.	Group Housing (Klassic IB & ONGC)	B-45	Residential	19-01-12	88255.377	1906150.317	5001499.678
12.	Group Housing (Knigh Court)	B-5	Residential	19-01-12	70085.67	1976235.987	4931414.008
13.	Group Hosing (Klassic)	B-41A & B-42	Residential	02.03.12	153121.25	2129357.242	4778292.758
14.	Group Hosing Kensington Boulevard & Park	B-12, 13, 14, 15, 16, 17 & 18	Residential	---	500017.74	2629374.982	4278275.018
नोट-प्रश्नगत योजना (बी - 12, 13, 14, 15, 16, 17 व 18) तक कुल प्रस्तावित एफ.ए.आर.				2629374.982			



प्रस्तावित भू-आच्छादन क्षेत्रफल = 34416.43 वर्ग मी०
प्रस्तावित एफ०ए०आर० = 500017.74 वर्ग मी०

नाम.....

पद.....

नौएडा

राजपाल कौशिक
मुख्य वास्तुविद नियोजक
नौएडा

प्रतिलिपि:-


1. मुख्य परियोजना अभियन्ता, नौएडा को सादर सूचनार्थ ।
2. विशेष कार्याधिकारी (भूलेख), नौएडा को सादर सूचनार्थ ।
3. मैसर्स जे०पी० इन्फ्राटेक लिमिटेड की नियोजन विभाग की मास्टर फाइल में रिकार्ड update करने हेतु ।

Map for proposed Building is as per Bye
Laws. Submitted for approval please.

Pl. Asst.

Arch.

Architect




NOTE :-

Architect's Signature
 Owners' Signature

Architects & Town Planners
 ARCOP ASSOCIATES Pvt. Ltd.
 E-106, G.K. ENCLAVE Part-I
 New Delhi-110 049
 Ph.: 011-26242050 Fax: 011-26238005

JAYPEE INFRA TECH LTD.
 SECTOR-128, NOIDA (U.P.), INDIA

Job Title: BUILDING SUBMISSION FOR KENSINGTON BOULEVARD (POCKET B-12, 13, 14, 15) JAYPEE GREENS SECTOR 131, NOIDA U.P., INDIA
 Drawing No. JPC/SB/KBA/MP-002
 Date: 26/03/2012
 Checked by: SHIVIKA
 Revision No. GYAN
 NOIDA AUTHORITY:



15% F.A. AREA STATEMENT FOR CONNECTING CORRIDOR/BERGOLA				
NO.	COEFF.	LENGTH	BREADTH	AREA IN SQ.M
1	1	2100	2000	8100
2	1	2100	2100	8400
3	1	2100	1970	8137
4	1	2100	1970	8137
5	1	2100	1970	8137
6	1	2100	1970	8137
7	1	2100	1970	8137
8	1	2100	1970	8137
9	1	2100	1970	8137
10	1	2100	1970	8137
11	1	2100	1970	8137
12	1	2100	1970	8137
13	1	2100	1970	8137
14	1	2100	1970	8137
15	1	2100	1970	8137
16	1	2100	1970	8137
17	1	2100	1970	8137
18	1	2100	1970	8137
19	1	2100	1970	8137
20	1	2100	1970	8137
21	1	2100	1970	8137
22	1	2100	1970	8137
23	1	2100	1970	8137
24	1	2100	1970	8137
25	1	2100	1970	8137
26	1	2100	1970	8137
27	1	2100	1970	8137
28	1	2100	1970	8137
29	1	2100	1970	8137
30	1	2100	1970	8137
31	1	2100	1970	8137
32	1	2100	1970	8137
33	1	2100	1970	8137
34	1	2100	1970	8137
35	1	2100	1970	8137
36	1	2100	1970	8137
37	1	2100	1970	8137
38	1	2100	1970	8137
39	1	2100	1970	8137
40	1	2100	1970	8137
41	1	2100	1970	8137
42	1	2100	1970	8137
43	1	2100	1970	8137
44	1	2100	1970	8137
45	1	2100	1970	8137
46	1	2100	1970	8137
47	1	2100	1970	8137
48	1	2100	1970	8137
49	1	2100	1970	8137
50	1	2100	1970	8137
51	1	2100	1970	8137
TOTAL				1388.41



